कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीव कछुओं की अंतर्राज्यीय तस्करी अवैध व्यापार में शामिल आरोपियों की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (61/26, दिनांक 01.09.2026)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर जलीय वन्यजीवों की अवैध तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। माननीय सत्र न्यायालय, इंदौर (विशेष न्यायालय क्र.-7) के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/02 में शामिल आरोपी रोहन गौड़ की नियमित जमानत याचिका (BA 55236/2026) एवं सह-आरोपी रौनक जुनेजा की अग्रिम जमानत याचिका ((BA 54838/2026)) को निरस्त कर दिया गया है।

दिनांक 19 अगस्त 2026 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन इमली चौराहा, इंदौर से आरोपी रोहन गौड़ एवं केशव शर्मा को पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में उल्लेखित विभिन्न प्रजातियों के 30 नग दुर्लभ जीवित कछुए (इंडियन स्टार टॉरटॉयज, इंडियन रूफ्ड टर्टल, स्पॉटेड पोंड टर्टल आदि), मोटरसाइकिल एवं 3 मोबाइल फोन जब्त कर गिरफ्तार किया गया था। आगे की विवेचना एवं पूछताछ के आधार पर कनाड़िया रोड स्थित परिसर से अनुसूची-1 का 1 अन्य कछुआ एवं अनुसूची-2 का 1 जीवित 'रोज-रिंग्ड पैराकीट' पक्षी भी जब्त किया गया। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 51 एवं 52 के तहत विवेचना जारी है।

माननीय सत्र न्यायालय, इंदौर (विशेष न्यायालय क्र.-7) के द्वारा ने एसटीएसएफ (STSF) द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं लिखित आपत्तियों से सहमत होते हुए माना कि यह दुर्लभ वन्यजीवों की संगठित एवं अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़ा गंभीर अपराध है। विवेचना प्रारंभिक स्तर पर होने, फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तथा बैंक खातों से अवैध लेनेदेन जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों के एकत्रीकरण हेतु आरोपियों को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल